न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री रामचरन शर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–109/2022 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)
GCMS NO :–2022/153
दायर दिनांक :–16.09.2022
निर्णय दिनांक :–23.02.2023

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री रमेश चंद्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. **विक्रेता एवं फर्म मालिक** – श्री बसन्ती लाल जैन पुत्र श्री हीरालाल जैन उम्र 57 वर्ष जाति जैन मैसर्स वर्धमान ट्रेडिंग कम्पनी, मारू दरवाजा, सदर बाजार, देवगढ़ जिला राजसमंद निवासी आच्छों की गली, देवगढ़, जिला राजसमंद
2. **हॉलसेलर फर्म मालिक** – श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री माणक चंद मैसर्स गौतम ट्रेडिंग कम्पनी, नारायणजी का मौहल्ला, देवगढ़, जिला राजसमंद
3. **निर्माता फर्म नोमिनी** – श्री हरेन्द्र सिंह निवासी गांव एवं पोस्ट कुम्हा, वाया सेवर तहसील व जिला भरतपुर (राज.) – 321303 मैसर्स श्री हरि इण्डस्ट्रीज (हरि ऑयल मिल) पोस्ट बॉक्स नं. 7, मालगोडाउन रोड़, भरतपुर राज 321001
4. **निर्माता फर्म** – मैसर्स श्री हरि इण्डस्ट्रीज (हरि ऑयल मिल) पोस्ट बॉक्स नं. 7, मालगोडाउन रोड़, भरतपुर राज 321001

– विपक्षी

अन्तर्गत धारा क्रमशः 26(2) (ii), 51 & 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम एवं विनियम 2011

–0 निर्णय 0–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25.07.2011 व 10.08.2011 के अनुसरण में श्री रमेश चंद्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर मिसब्राण्डेड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि श्री बसन्ती लाल जैन पुत्र श्री हीरालाल जैन उम्र 57 वर्ष जाति जैन (फर्म विक्रेता/मालिक) मैसर्स वर्धमान ट्रेडिंग कम्पनी, मारू दरवाजा, सदर बाजार, देवगढ़ जिला राजसमंद जो की होटल का व्यवसाय करते है, तथा इनकी दुकान मैसर्स वर्धमान ट्रेडिंग कम्पनी, मारू दरवाजा, सदर बाजार, देवगढ़ जिला राजसमंद जिला राजसमंद पर–

P.T.O.

दिनांक 10.01.2022 को 02.30 पी.एम. पर वास्ते चेकिंग पहूंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश नहीं किया। वक्त निरीक्षण उक्त रेस्टोरेन्ट में **कच्ची घाणी सरसों तेल (इंजन) पैक्ड** करीब 1500 बोतल पैक 10–12 गत्ते के कार्टून आम जनता के लिये विक्रय हेतु रखे हुए थे। एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (इंजन) पैक्ड मे से 01 लीटर की 4 बोटल कच्ची घाणी सरसों तेल (इंजन) पैक्ड वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 640/– रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (इंजन) पैक्ड के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा कच्ची घाणी सरसों तेल (इंजन) पैक्ड की 04 पॉली पैक को मोतविरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग–2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई –1366 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद ने पत्र कमांक : मुचिअ/एफएसएसए/2022/299 दिनांक 27.01.2022 के साथ खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल.एस./65/एक्ट/2022/65 दिनांक 18.01.2022 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार **AI 1366 खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (इंजन) पैक्ड** का नमूना **मिसब्राण्डेड** होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 08.09.2022 को अभियोजन स्वीकृति–

P.T.O.

जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री रितेश टुकलिया द्वारा लिखित बहस पेश कर अपनी बहस में अवगत कराया कि आवेदक द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 29.11.2011 के तहत अपनी नियुक्ति का परिचय नर्स ग्रेड –ा के तौर पर होना बताया है, परन्तु खाद्य सुरक्षा के नियम 2.1.3 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकार की योग्यता नही होने से प्रस्तुत वाद खारिज होने योग्य है, आवेदक द्वारा अभियुक्त 3 व 4 को ना तो खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट दिनांक 18.01.2022 उपलब्ध कराई गई ना ही अभियुक्त संख्या 3 व 4 को रिपोर्ट को चुनौती देने के संबंध में नोटिस दिया गया, तथा आवेदक द्वारा दिनांक 10.01.2022 को निरीक्षण के दौरान नमूने को मानक स्तर पर नहीं होने के शक पर लिया गया था, इससे यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा नमूने का मिथ्याछाप के शक पर नहीं लिया गया था, आवेदक द्वारा नमुने का मिथ्याछाप के शक पर नहीं लिया गया था, आवेदक द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट में भी मिलावट के शक पर नमूने को संगृहित कर खाद्य विश्लेषक हेतु भिजवाया गया, तथा नमुना विश्लेषण में सही साबित हुआ, इसलिये भी प्रकरण खारिज होने योग्य है, अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रकरण को खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का **कच्ची घाणी सरसों तेल (इंजन) पैक्ड मिसब्राण्डेड** होना पाया गया। अतः अभियुक्त ने मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx)) खाद्य पदार्थ **कच्ची** घाणी सरसों तेल **(इंजन) पैक्ड** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुंरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है।

अपराध कारित होने से विपक्षी श्री बसन्ती लाल जैन पुत्र श्री हीरालाल जैन उम्र 57 वर्ष जाति जैन मैसर्स वर्धमान ट्रेडिंग कम्पनी, मारू दरवाजा, सदर बाजार, देवगढ़ जिला राजसमंद निवासी आच्छों की गली, देवगढ़, जिला राजसमंद, हॉलसेलर फर्म मालिक – श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री माणक चंद मैसर्स गौतम ट्रेडिंग कम्पनी,

P.T.O.

नारायणजी का मौहल्ला, देवगढ़, जिला राजसमंद, **निर्माता फर्म नोमिनी** – श्री हरेन्द्र सिंह निवासी गांव एवं पोस्ट कुम्हा, वाया सेवर तहसील व जिला भरतपुर (राज.) – 321303 मैसर्स श्री हरि इण्डस्ट्रीज (हरि ऑयल मिल) पोस्ट बॉक्स नं. 7, मालगोडाउन रोड़, भरतपुर राज 321001 एवं **निर्माता फर्म** – मैसर्स श्री हरि इण्डस्ट्रीज (हरि ऑयल मिल) पोस्ट बॉक्स नं. 7, मालगोडाउन रोड़, भरतपुर राज 321001 पर कुल राशि 31,000/– रूपये (अक्षरे रूपया इकतीस हजार रूपये) की पेनल्टी से आरोपित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लघन नहीं करे, विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान से निर्णय दिनांक से एक माह की अवधि में राजकोष में आवश्यक रूप से जमा करा पावती प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2023 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर, टकिंत कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रा0 फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय की प्रति संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

(रामचरन शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द